अतारांकित प्रश्न – 1142 का परिशिष्ट – 'अ'

22.jpg

4/2016

परिशिष्ट 'अ'

दिनांक 09.05.2016 को जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहें।

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी।
2. भू–अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी
3. पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी
4. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 11 बड़वानी
5. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण खण्ड बड़वानी
6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग बड़वानी
7. कार्यपालन यंत्री भूमि संरक्षण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग कमांक 11 बड़वानी
8. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग बड़वानी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,भोपाल

जिला स्तरीय बैठक दिनांक 09.05.2016 का कार्यवाही विवरण :—

दिनांक 09.05.2016 को जिला स्तरीय बैठक कलेक्टर जिला बड़वानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में परिशिष्ट अ अनुसार अधिकारी/कर्मचारी उपस्थिति रहे।

1. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 बड़वानी द्वारा बताया गया कि इंदिरा सागर परियोजना के 20 प्रकरणो मे कार्यवाही होना है। जिसमें से 10 प्रकरण भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी को प्रस्तुत कर दिये गये है। तथा शेष 10 प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है। 25 प्रकरण नर्मदा से 02 किलोमीटर की परिधि के होने से ग्राम सभा का अनुमोदन होना है। अत: निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों का ग्रामोदय के अंतर्गत होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराकर 15 जून तक या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिये जावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री न.वि.स. कमांक 11 बड़वानी

2. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमाक 14 टीकरी के अंतर्गत 05 ग्रामो के सहमति के आधार पर भू-अर्जन के प्रस्ताव भेजना है। उक्त 05 ग्रामो के प्रकरण 15 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव भेजे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री न.वि.स.कमांक 14 टीकरी

3. इंदिरा सागर परियोजना एव लोअर गोई परियोजना मे अवार्ड राशि का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि इंदिरा सागर परियोजना नहर अंतर्गत वर्तमान तक भू-अर्जन के पारित अवार्ड प्रकरणो में भुगतान से शेष 591 खातेदारो की राशि 2134.73 लाख भुगतान से शेष है। उक्त राशि खातेदारो के मृतक होने से नामांतरण एवं वारिसो की जानकारी नही होने से लंबित है। इसी प्रकार लोअर गोई परियोजना मे 108 खातेदारो की राशि 479.00 लाख का भुगतान शेष है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि नामांतरण बटवारे एवं वारिसो की जानकारी हेतु संबंधित तहसीलदारो को पत्र लिखे। तथा इसकी समीक्षा राजस्व अधिकारीयो की बैठक मे की जावे एवं सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री कृषको से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रता से भुगतान करावें।

कार्यवाही भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं तहसीलदार सभी राजपुर, अंजड, बड़वानी, पाटी

4. ग्राम पंचपुला उत्तर एवं धमोडी दो भू-अर्जन प्रकरणो में सहमति के आधार पर अर्जन की कार्यवाही 15 जून तक करना है। धारणधिकार की जानकारी तहसीलदार बड़वानी से प्राप्त की जावें। जुनाझिरा में भी भू-अर्जन की कार्यवाही 15 जून 2016 तक की जाना है। उक्त प्रकरण मे तहसीलदार पाटी से धारणाधिकार की जानकारी प्राप्त की जावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी

5. इंदिरा सागर परियोजना नहर एवं लोअर गोई परियोजना के अंतर्गत जिन प्रकरणो में भू-अर्जन की कार्यवाही सम्पन्न हो गई है। तथा अर्जित भूमि का इंद्राज खसरे मे होना शेष है। उन प्रकरणो मे संबंधित तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामो में अर्जित रकबे का खसरे में प्रविष्टि हेतु कैम्पो का आयोजन करे तथा 01 जून से 15 जून तक प्रविष्टि कार्य पूर्ण करेंगे। इसकी समीक्षा राजस्व अधिकारी की बैठक मे की जावें।

कार्यवाही समस्त तहसीलदार

6. सरदार सरोवर परियोजना अंतर्गत विस्थापितो के पुनर्वास हेतु निर्मित पुर्नबसाहट स्थलो पर विकसीत पट्टो को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना है। अतः पुनर्वास स्थलो के नक्शे एवं जानकारी कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास संभाग बड़वानी क्षेत्रवार संबंधित तहसीलदारो को उपलब्ध करावें।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी एवं संबंधित तहसीलदार

7. पुर्नबसाहट स्थलो के हस्तातंरण की कार्यवाही की गई है। उसमें विकास कार्य हेतु संबंधित विभागो को कलेक्टर के हस्ताक्षर से पत्र जारी किये जावे।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. पुनर्वास संभाग बड़वानी

पुर्नबसाहट स्थलो पर अतिकमण को हटाने हेतु नक्शे पर मार्क कर अतिकमण के कैस संबंधित तहसीलदार को भेजना। तथा तहसीलदार द्वारा अतिकमण के विरूद्ध कार्यवाही करना।

कार्यवाही कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा.पुनर्वास संभाग बड़वानी एवं संबंधित तहसीलदार

उपरोक्तानुसार संबंधित विभाग प्रमुख त्वरित निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

कलेक्टर
जिला बड़वानी
म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय,भोपाल